



**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI-110 001**

F.No.21-60/2021-CDN

Date: 22.10.2021

ENDORSEMENT

Sub: - Central Civil Service-implementation of NPS-rule-2021 - Regarding.

Department of Pension and Pensioners' welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi has issued DOP and PW Gazette Notification dated 31st March, 2021 regarding above subject. The above mentioned DOP and PW Gazette Notification dated 31st March, 2021 is being uploaded on the ICAR website www.icar.org.in and e-office for information and necessary action.

(Jitender Kumar Meena)

Under Secretary (GAC), ICAR

Distribution:-

1. All the Directors/ Project Directors/ NRCs/ PDs/ ZPDs/ Bureaux/ ATARIs for information and compliance.
2. All officers/ Sections at ICAR Krishi Bhawan/ KAB-I & II/ NASC.
3. Sr. PPS to DG, ICAR/ PPS to FA, ICAR/ PPS to Secretary, ICAR
4. Media Unit for placing on the ICAR Website.
5. Guard file/ spare copies.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226276
CG-DL-E-31032021-226276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943
No. 178]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि.227(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड(5) और अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**- इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात रक्षा सेवाओं में सिविल सरकारी कर्मचारियों सहित संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर मूल रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को लागू होंगे, किंतु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे -

(क) रेलवे कर्मचारी;

(ख) नैमित्तिक और दैनिक मजदूरी वाला कर्मचारी;

- (ग) आकस्मिक व्यय संदत्त व्यक्तियों;
- (घ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य;
- (ङ) विदेशी देशों में राजनयिक, कौंसलीय या अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों में सेवाओं के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति;
- (च) संविदा पर नियोजित व्यक्ति;
- (छ) ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवा के लिए निबंधन और शर्तें संविधान के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विनियमित की जा रही हैं; और
- (ज) ऐसे व्यक्ति जिन पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी विशेष या साधारण आदेश के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम लागू होते हैं।

3. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (1) (क) किसी मंत्रालय या विभाग या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "प्रत्यायित बैंक" से रिज़र्व बैंक या कोई भी ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो उस मंत्रालय या विभाग या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सरकार के व्यापार को करने के लिए नियुक्त किया जाता है और न्यासी बैंक को निधियों का अंतरण करने हेतु मान्यता प्राप्त है;
- (ख) "संचित पेंशन कॉर्पस" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन निवेशों का मौद्रिक मूल्य अभिप्रेत है;
- (ग) "वार्षिकी" से संचित पेंशन कॉर्पस से वार्षिकी योजना की खरीद पर वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा अभिदाता को किया गया आवधिक भुगतान अभिप्रेत है;
- (घ) "वार्षिकी सेवा प्रदाता" से ऐसी जीवन बीमा कंपनी अभिप्रेत है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित है तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध है;
- (ङ) "प्राधिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसमें संकल्पों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण सम्मिलित है;
- (च) "केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जो अभिदाताओं के लिए योजनाओं का अभिलेख रखने, लेखा, प्रशासन और ग्राहक सेवा के कार्य करती है;
- (छ) "आहरण और संवितरण अधिकारी" से कार्यालयाध्यक्ष या कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार के किसी विभाग, विभागाध्यक्ष या किसी प्रशासक द्वारा केंद्रीय सरकार की ओर से विलों का आहरण और भुगतान करने लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष या प्रशासक भी सम्मिलित हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है;
- (ज) "चेक आहरण और संवितरण अधिकारी" से किसी मंत्रालय या विभाग (जिसमें केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग, वन विभाग और ऐसे विभाग सम्मिलित हैं जिन्हें केंद्रीय लोक निर्माण खाता संहिता के उपबंधों का अनुपालन अधिकृत किया गया है) या किसी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाला आहरण और संवितरण अधिकारी अभिप्रेत है जो एक प्रत्यायित बैंक की विनिर्दिष्ट शाखा में अपने पक्ष में खोले गए समानुदेशन खाते के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रकार के भुगतानों के लिए पैसे निकालने के लिए प्राधिकृत है;
- (झ) "रक्षा सेवाएँ" से भारत सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, रक्षा सेवाएँ अनुमानों से संदत्त, रक्षा लेखा विभाग के अधीन सेवाएँ अभिप्रेत है और जो स्थायी रूप से वायु सेना अधिनियम 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन नहीं हैं;
- (ञ) "परिलब्धियाँ" से नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट परिलब्धियाँ अभिप्रेत है;

(ट) "विदेश सेवा" से वह सेवा अभिप्रेत है जिसमें सरकारी कर्मचारी भारत के समेकित कोष या किसी राज्य के समेकित कोष या किसी संघ राज्य क्षेत्र के समेकित कोष के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से सरकार की संस्वीकृति के साथ अपना वेतन प्राप्त करता है;

(ठ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ड) "विभागाध्यक्ष" से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं;

(ढ) "कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 14 के अधीन ऐसा घोषित किया गया है, और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं;

(ण) "व्यक्तिगत पेंशन खाता" से किसी अभिदाता का खाता अभिप्रेत है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निबंधन और शर्तों को स्थापित करने वाली संविदा द्वारा निष्पादित किया जाता है;

(त) "सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि" से किसी निकाय द्वारा प्रशासित निधि अभिप्रेत है, जो विधि या नियम के द्वारा सरकार के नियंत्रण में आती है और जिसके व्यय पर संपूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार के पास है;

(थ) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 में निर्दिष्ट अंशदायी पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस पद्धति, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अधिकरण और पेंशन निधियों का उपयोग करके किसी अभिदाता के अंशदानों को व्यक्तिगत पेंशन खाते में संग्रहित और संचित किया जाता है;

(द) "वेतन और लेखा अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसका आधिकारिक पद चाहे जो हो, जो केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के खातों का रखरखाव करता है और इसमें महालेखाकार भी सम्मिलित है जिसे केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के खातों या उसके खातों के भाग के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है;

(ध) "पेंशन निधि" से ऐसा मध्यस्थ अभिप्रेत है जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा(3) के अधीन, विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति से, अंशदान प्राप्त करने, उन्हें जमा करने और अभिदाता को भुगतान करने के लिए पेंशन निधि के रूप में प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(न) "स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या" से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अधिकरण द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(प) "अभिदाता" से ऐसा सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत है जो पेंशन निधि की योजना के लिए अभिदाय करता है;

(फ) "न्यासी बैंक" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 का 10) में परिभाषित बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु मूल नियम, 1922, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियमों या नियमों या विनियमों में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं।

साधारण शर्तें

4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण- (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे ये नियम लागू होते हैं, सेवा में कार्यग्रहण करने पर, तत्काल ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण के लिए सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में, नियम 10 में विनिर्दिष्ट विकल्प प्ररूप सहित कार्यालयाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन सभी प्रकार से संपूर्ण है, इसकी प्रति अभिप्राप्ति करने की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और उसे सरकारी कर्मचारी के कार्यग्रहण करने के दिन से तीन कार्य दिवस के भीतर आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजेगा। कार्यालयाध्यक्ष अभिलेख के लिए आवेदन की एक प्रति रखेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष से आवेदन की अभिप्राप्ति होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर, आहरण और संवितरण अधिकारी, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को, यथास्थिति, वैयक्तिक अभिदाता के आवेदन अग्रेषित करेगा।

(4) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, आहरण और संवितरण अधिकारी से प्राप्त आवेदन का प्रक्रमण करेगा तथा आहरण और संवितरण अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा। वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को भी अभिलेख के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगी और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टर्नअराउंड समय के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के संबंध में एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित करेगा। रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया और टर्न-अराउंड समय के अनुसार, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या संसूचित करेगा और अभिदाता को भी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता किट अग्रेषित करेगा।

(6) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(7) आहरण और संवितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।

(8) कार्यालयाध्यक्ष अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की सूचना देगा और अभिदाता द्वारा प्रस्तुत सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में और अभिदाता की सेवा पुस्तिका में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) को दर्ज करेगा और तत्पश्चात्, पांच कार्य दिवस के भीतर अभिदाता की सेवा पुस्तिका में सामान्य अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप की प्रमाणित प्रति चिपकाएगा।

(9) उप-नियम(2) से उप-नियम (8)में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया और उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में प्रथम अंशदान के जमा होने में कोई विलंब न हो। सरकारी कर्मचारी का पहला अंशदान उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में, उप-नियम(1) के अधीन आवेदन जमा करने की तारीख के बीस दिन के भीतर या सरकारी कर्मचारी के कार्यग्रहण करने के मास की अंतिम तारीख तक, इसमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तक जमा किया जाएगा।

(10) ऐसे मामले में, जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पहले महीने या बाद के किसी मास के लिए वेतन के आहरण की तारीख से पूर्व पूर्ण न हुई हो, तो सरकारी कर्मचारी के ऐसे वेतन या वेतनों का भुगतान नियम 6 के अनुसार यथावधारित अंशदान की राशि घटाने के पश्चात् किया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकारी कर्मचारी के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के सृजित होने की प्रक्रिया केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण द्वारा पूर्ण की जाती है, वेतन से विधायित अंशदान की राशि और नियम 8 के अधीन देय व्याज की राशि को सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा तथा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(11) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए विकल्प प्ररूप पर नियम 10 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5. परिलब्धियाँ - (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान की राशि अवधारित करने के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति 'परिलब्धियाँ' में मूल नियम, 1922 के नियम 9(21)(क)(i) में यथापरिभाषित किसी कैलेंडर मास का मूल वेतन, चिकित्सा अधिकारी को निजी अभ्यास के बदले में देय गैर-अभ्यास भत्ता और स्वीकार्य महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(2) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अध्याधीन, यदि कोई अभिदाता झूटी से अनुपस्थित, छुट्टी पर था, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए छुट्टी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन और महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली राशि को ध्यान में रखा जाएगा। इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए छुट्टी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन, गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ते की राशि को हिसाब में लिया जाएगा।

- (3) नियम 7 के उप-नियम (1) के परंतुक के अधीन, यदि कोई अभिदाता किसी कैलेंडर मास के पूरे या किसी भाग के दौरान झूटी से अनुपस्थित या असाधारण छुट्टी पर था, तो छुट्टी वेतन में उसका वेतन या वेतन को दर्शाने वाली राशि, इस नियम में निर्दिष्ट गैर-अभ्यास भत्ता और महंगाई भत्ता जो उसने मास के उस भाग के लिए वास्तव में आहरित किया, जिसके दौरान वह झूटी पर था या छुट्टी पर था, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।
- (4) यदि कोई कर्मचारी निलंबन के अधीन था, तो उस कैलेंडर माह में निलंबन की अवधि के दौरान आहरित किए गए निर्वहन भत्ते को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।
- (5) भारत में प्रतिनियुक्ति पर आए किसी अभिदाता द्वारा आहरित वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।
- (6) विदेश सेवा या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर किसी अभिदाता के मामले में, परिलब्धियों के लिए उनके उस वेतन को गणना में लिया जाएगा जो उन्हें तब मिलता यदि वह विदेशी सेवा या ऐसी प्रतिनियुक्ति पर न होते।
- (7) यदि कोई सेवानिवृत्त अभिदाता, जो सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित है और जिसके लिए ये नियम लागू हैं और जिसके पुनर्नियोजन पर उसके वेतन से उनके मासिक पेंशन से अतिरिक्त राशि को कम किया गया है, मासिक पेंशन के तत्व को, जिससे वेतन में कटौती की गई है परिलब्धियों में सम्मिलित किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता द्वारा अंशदान- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाता प्रतिमास अपनी परिलब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगा। देय अंशदान की राशि को रुपये के अगले उच्च मूल्य तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(2) निलंबन की अवधि के दौरान, अभिदाता द्वारा उसके विकल्प, पर अंशदान किया जा सकेगा:

परंतु जहां, जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में, निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को झूटी के रूप में या अवकाश पर, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, माना गया, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए अभिदाता हकदार हो जाता है। अंशदान की जमा की जाने वाली राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई राशि के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णीत ब्याज की दर होगी।

(3) झूटी से अनुपस्थिति (छुट्टी पर या अन्यथा) की अवधि के दौरान, जिसके लिए कोई वेतन या छुट्टी वेतन देय नहीं है, अभिदाता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जा सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि के दौरान, अभिदाता इन नियमों के अधीन उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार वह स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति न होने पर होता और नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार परिकल्पित परिलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अंशदान करना जारी रखेगा।

(5) पूर्वव्यापी वृद्धि के कारण अभिदाता द्वारा अभिप्राप्त वेतन के किसी भी बकायों के संबंध में किया गया अंशदान उस मास के अंशदान के रूप में माना जाएगा जिसमें उसका भुगतान किया जाता है।

(6) परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखेगा।

(7) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान की कटौती और जमा को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

(8) आहरण और संवितरण अधिकारी सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और बिल को प्रत्येक अभिदाता के संबंध में अंशदान कटौती के व्यौरों सहित यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक मास के बीसवें दिन पर या उससे पूर्व भेजेगा।

(9) कोई अभिदाता अपने विकल्प पर, प्राधिकरण और सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अंशदान से अधिक अंशदान कर सकेगा।

(10) (i) वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, यथास्थिति, आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को उप-नियम (8) के अधीन प्रत्येक अभिदाता के संबंध में भेजे गए अंशदान के व्यौरों के आधार पर अभिदाता अंशदान फाइल तैयार और अपलोड करेगा तथा प्रत्येक मास के पञ्जीसर्वे दिन तक अंतरण आईडी सृजित करेगा।

(ii) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी, न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से प्रत्येक मास के अंतिम कार्य

दिवस तक अंशदान प्रेषित करेगा:

परंतु यह कि मार्च के महीने के लिए अंशदान वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से अप्रैल मास के प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जा सकेगा।

(iii) अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार यथावधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए व्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।

7. सरकार द्वारा अंशदान - (1) सरकार प्रत्येक मास अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी। अंशदान की देय राशि को रुपये के अगले उच्च मूल्य में पूर्णांकित किया जाएगा:

परंतु उन मामलों में जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनः कार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छुट्टी दी जाती है,

और ऐसे अवकाश के दौरान, अवकाश वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार नोशनल परिलब्धि जिसमें नियम 5 में निर्दिष्ट छुट्टी वेतन और महंगाई भत्ता, गैर अभ्यास भत्ता सम्मिलित है, का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की राशि हर महीने अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान करेगी।

(2) उप-नियम(1) के परंतुक के अध्यधीन, सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जिसके दौरान अभिदाता को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) अभिदाता के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता को दिए जाने वाले निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए अवधारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जा सकेगा:

परंतु निलंबन की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जहां अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था,:

परंतु यह और कि, जहां जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के दौरान अवधि को छूटी के रूप में या अवकाश माना जाता है, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है। सरकार द्वारा जमा की जाने वाले अंशदान की राशि और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की राशि के अंतर को व्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ व्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्णित व्याज की दर होगी।

(4) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा अंशदान को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और प्राधिकरण द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) देय अंशदान की राशि को रुपये के अगले उच्चतर मूल्य में पूर्णांकित किया जाएगा।

(6) अभिदाता द्वारा अंशदान की राशि के प्रेषण के मामले में समयसीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे। अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा

में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार यथावधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित राशि जमा की जा सकेगी।

8. अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज- (1) विलंब होने की दशा में, अभिदाता के जिम्मेदार न होने के मामले में,

(i) नियम 4 में विहित समय सीमा के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के

रजिस्ट्रीकरण में विलंब होने के कारण मासिक अंशदान का प्रारम्भ होना; या

(ii) नियम 6 में विहित समय सीमा के पश्चात अभिदाता के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती या उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा करना; या

(iii) नियम 7 में विहित समय सीमा के पश्चात अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा मासिक अंशदान को जमा करना,

विलंबित अवधि के लिए अंशदान की राशि ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जाएगी। कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान की राशि जमा करने के तीस दिन की अवधि के भीतर ब्याज जमा किया जा सकेगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित ब्याज की दर होगी:

परंतु यह कि 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, वित्तीय सेवा विभाग के तारीख 31 जनवरी की अधिसूचना फा. सं.1/3/2016-पीआर और वय्य विभाग के तारीख 12 अप्रैल, 2019 के कार्यालय जापन सं.1(21)/ईवी/2018 द्वारा यथाअधिसूचित होगी।

(2) (i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण या नियम 4 के अधीन अंशदान शुरू होने या नियम 6 के अधीन अभिदाता के मासिक अंशदान में कटौती या जमा होने या नियम 7 के अधीन सरकार द्वारा अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में मासिक अंशदान जमा करने में विलंब होने के प्रत्येक मामले में जिम्मेदारी के निपटान के लिए विभागाध्यक्ष या मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा जांच की जाएगी;

(ii) यदि विभागाध्यक्ष या मुख्य लेखा नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक चूक के कारण विलंब हुआ है, तो ब्याज के भुगतान के कारण सरकार को

हुए आर्थिक नुकसान की राशि का भुगतान करने के लिए अपचारी अधिकारी या अधिकारिण दायी होंगे;

(iii) अपचारी अधिकारी या अधिकारियों की जिम्मेदारी और देयता की राशि उसी तरह से अवधारित की जाएगी जिस प्रकार आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 201 (झ) के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए विलंबित कटौती या प्रेषण के मामले में की जाती है। यह इस संबंध में प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा।

9. संचित पेंशन कॉर्पस का निवेश- किसी अभिदाता के संबंध में संचित पेंशन कॉर्पस को, ऐसे पेंशन निधि या निधियों द्वारा और ऐसी रीति से निवेश किया जा सकेगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाए।

10. सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प - (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु या निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभ पाने के लिए प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे।

(2) विकल्प कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा जो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात उसे स्वीकृत करेगा और इसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखेगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विकल्प की प्रतिलिपि केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को, आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी। वेतन और लेखा अधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के बारे में व्यौरों को उपदर्शित करते हुए ऑनलाइन प्रणाली में उपयुक्त प्रविष्टि भी करेंगे।

(3)(क) (i) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्ररूप 1 में विकल्प सहित प्ररूप 2 में कुटुंब के व्यौरों को भी कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा;

- (ii) यदि सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है, तो उसे कुटुंब का अभिग्रहण करते ही प्ररूप 2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।
- (ख) सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे के विवाह के तथ्य सहित कुटुंब के सदस्यों की संख्या में कोई उत्तरवर्ती परिवर्तन होने पर कार्यालयाध्यक्ष को संसूचित करेगा।
- (ग) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उप-नियम (6) के परंतुक में निर्दिष्ट निःशक्तता जब भी किसी बालक में होती है जिसके कारण वह अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो इस तथ्य को सिविल सर्जन के पद के समतुल्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ कार्यालयाध्यक्ष को संसूचित करना होगा। इसे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्ररूप 2 में इंगित किया जाएगा। जब भी कुटुंब पेंशन के लिए दावा किया जाता है, तो बालक का विधिक संरक्षक सिविल सर्जन के पद के समतुल्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए नये चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित आवेदन कर सकेगा कि बालक अभी भी निःशक्तता से ग्रस्त है।
- (घ) (i) कार्यालयाध्यक्ष को प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति पर, प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से ग्राम सभी भावी पत्रों को इसकी अभिप्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और इसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाने की व्यवस्था करेगा।
- (ii) कुटुंब के आकार में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी से पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष ऐसे परिवर्तन को प्ररूप 2 में सम्मिलित करेगा।
- (4) (i) उप-नियम(1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प, अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व नया विकल्प दे कर कार्यालयाध्यक्ष को अपने संशोधित विकल्प की संसूचना देते हुए किसी भी समय संशोधित किया जा सकेगा। संशोधित विकल्प की अभिप्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष तथा वेतन और लेखा अधिकारी उप-नियम (2) में उल्लिखित आगे की कार्रवाई करेंगे;
- (ii) अशक्तता या निःशक्तता होने पर सेवामुक्त किए गए किसी अभिदाता को ऐसी सेवामुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा;
- (iii) जहां ऐसा अभिदाता नए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है या सेवामुक्ति के समय नए विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो अभिदाता द्वारा पूर्वतः प्रयोग किया गया विकल्प सक्रिय हो जाएगा;
- (iv) जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का चयन नहीं किया गया था और अभिदाता सेवामुक्ति के समय किसी विकल्प का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके मामले को उप-नियम (6) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
- (5) सेवा में रहते हुए किसी अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, मृतक अभिदाता द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व प्रयोग किए गए अंतिम विकल्प को निर्णायक माना जाएगा और परिवार के पास विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (6) (i) जहां अभिदाता ने उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर दिवंगत हो जाता है, तो यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के उपबंधों के अनुसार, उसके कुटुंब को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में कुटुंब पेंशन दी जाएगी;
- (ii) जहां कोई अभिदाता उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किए बिना पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के तीन वर्ष के भीतर अशक्तता या निःशक्तता होने पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त किया जाता है, और सेवामुक्ति के समय विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसे यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के उपबंधों के अनुसार, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में अशक्तता पेंशन या निःशक्तता पेंशन दी जाएगी;
- (iii) अन्य सभी मामलों में, जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सेवा से सेवामुक्ति पर अभिदाता का दावा और अभिदाता की मृत्यु पर
- कुटुंब का दावा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार डिफॉल्ट विकल्प के

रूप में विनियमित किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ मृतक अभिदाता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभों के लिए उप-नियम (1) के अनुसार उपयोग किया गया विकल्प या उप-नियम (6) के अनुसार डिफॉल्ट विकल्प केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन कुटुंब पेंशन देने के लिए परिवार के किसी पात्र सदस्य की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो जाता है, तो ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्वीकार्य हितलाभों को कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।

11. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति - ऐसा अभिदाता, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता है या, यदि किसी अभिदाता की सेवा को अधिवर्षिता की अवधि से आगे विस्तारित किया गया है, तो अधिवर्षिता की आयु के पश्चात सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को यथास्वीकार्य हितलाभों, का हकदार होगा।

12. बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति - (1) किसी अभिदाता द्वारा बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून का सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है:

परंतु यह नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे अभिदाता को लागू नहीं होगा, जो हैं, -

(i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम

और अन्य सहायता कार्यक्रमों के अधीन सौंपे गये कार्य पर;

(ii) मंत्रालयों या विभागों के विदेश में स्थित कार्यालयों में तैनाती;

(iii) किसी विदेशी सरकार में एक विनिर्दिष्ट संविदा पर सौंपे गये कार्य पर,

जब तक कि भारत में स्थानांतरित होने के पश्चात, उसने भारत में पद पर कार्यभार

पुनर्ग्रहण न किया हो और एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा न की हो।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "नियमित सेवा" से केंद्रीय सरकार में नियमित आधार पर किसी पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से शुरू होने वाली सेवा अर्थ होगा, चाहे वह सीधी भर्ती या आमेलन या पुनर्नियोजन के आधार पर हो और इसमें उचित अनुमति के साथ, वर्तमान सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, उसी में या किसी अन्य केंद्रीय सरकार के विभाग, राज्य सरकार या किसी स्वायत्त या कानूनी निकाय में दी गई पिछली नियमित सेवा सम्मिलित होगी, यदि सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपदान के प्रयोजन के लिए ऐसी पिछली सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने की अनुज्ञा है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश सहित), प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा में व्यतीत की गई अवधि को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा माना जाएगा।

(ग) उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग, राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी निकाय में नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व अतियत, तदर्थ या संविदा के आधार पर प्रदान की गई सेवा को इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा नहीं माना जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा होगी:

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(3) (क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिदाता नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कारण देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास के कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए

अनुरोध कर सकेंगे।

(ख) उप-नियम (2) के अधीन खंड (क) के तहत अनुरोध की अभिप्राति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, योग्यता के आधार पर तीन मास के नोटिस की अवधि कम करने

के ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि के घटने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास का नोटिस की अपेक्षा को शिथिल कर सकता है।

(4) अभिदाता, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चुनाव करता है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय के लिए आवश्यक नोटिस दिया है, को ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के अतिरिक्त, अपने नोटिस को वापस लेने से रोक दिया जाएगा:

परंतु वापसी के लिए अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया गया हो।

(5) ये नियम उस अभिदाता पर लागू नहीं होगा, जो -

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित तारीख 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय जापन संख्या 25013/6/2001-स्था(ए) द्वारा अधिसूचित, समय समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है या

(ख) स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ, "नियुक्ति प्राधिकारी" से प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस सेवा या पद पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम है, जिससे अभिदाता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है।

(6) अभिदाता, सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को स्वीकार्य हितलाभों का हकदार होगा।

(7) यदि अभिदाता सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

13. मूल नियमों के नियम 56 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभ- (1) ऐसा अभिदाता, -

(i) जो मूल नियम, 1922 के नियम 56 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त है; या

(ii) जो अपने सेवारत प्रतिष्ठान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय जापन सं. 25013/6/2001-स्था(ए) के अंतर्गत यथाअधिसूचित, समय समय पर यथासंशोधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का चयन करता है,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के लिए यथास्वीकार्य हितलाभों का हकदार होगा,

परंतु कोई अभिदाता जो उस संस्थान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर जिसमें वह सेवारत है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का चयन करता है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत स्वीकार्य हितलाभ के अतिरिक्त इस स्कीम के अधीन स्वीकार्य अनुग्रह राशि का भी हकदार होगा।

(2) यदि अभिदाता सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

14. सरकारी सेवा से त्यागपत्र - (1) सरकारी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से एकमुश्त और वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा,

परंतु एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय पर उस तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा;

परंतु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य हो:

परंतु यह भी कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता अपने विकल्प पर गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) जहां उचित अनुज्ञा के साथ, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य विभाग में अस्थायी या स्थायी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विभाग के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, अभिदाता नई नियुक्ति लेने पर उसी स्थायी पेंशन खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता जारी रख सकेगा और उसे सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त किए गए पद पर उसके कार्यग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य माना जाएगा।

परंतु जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए हैं, अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता के निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ को प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु यह भी कि जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी पेंशन खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात: -

(क) संबंधित व्यक्ति अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के समय एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं था;

(ख) त्यागपत्र को सरकारी कर्मचारी द्वारा कुछ आवश्यक कारणों से दिया गया था, जिसमें उसकी ईमानदारी, दक्षता, या आचरण पर कोई प्रतिबिंब अंतर्बलित नहीं था और उन परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध किया गया है, जिसके कारण वह मूल रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हुआ था;

(ग) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को त्यागपत्र वापस लेने के लिए अनुरोध किया गया था, की मध्यवर्ती अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था;

(घ) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा मिलने के परिणामस्वरूप फिर से कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा दी गई, के बीच ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं है;

(ङ) वह पद, जो उसके त्यागपत्र की स्वीकृति पर सरकारी सेवक द्वारा खाली किया गया था या कोई अन्य समतुल्य पद उपलब्ध है।

(4) त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, जहां एक सरकारी कर्मचारी किसी प्राइवेट वाणिज्यिक कंपनी या निगम या सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी या वित्तपोषित निकाय के अंतर्गत नियुक्ति लेने के लिए सेवा या पद से त्यागपत्र देता है

(5) जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापस लेने और कार्यग्रहण करने की अनुज्ञा देने के लिए आदेश पारित किया जाता है, तो उस आदेश में सेवा में व्यवधान के लिए माफी दी गई, समझा जाएगा।

15. किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन पर फायदे - (1) किसी अभिदाता को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु यदि नए संगठन में समान प्रणाली विद्यमान है, तो अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा, और उस स्थिति में ऐसे आमेलन के समय उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ प्राप्त नहीं होगा किंतु नए निकाय या संगठन आदि जहां अभिदाता को आमेलित किया गया है से निकासी के पश्चात हितलाभ प्राप्त होंगे:

परंतु यह और कि जहां ऐसे स्वायत्त या सांविधिक निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आच्छादित नहीं किए गए हैं, ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन उपबंध उन अभिदाताओं पर भी लागू होंगे, जो सरकारी विभाग जिसमें वे कार्यरत थे, के केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने पर ऐसे पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलित होते हैं।

(3) उप-नियम (1) के तहत उपबंधों उन अभिदाताओं पर भी लागू होंगे जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के पूर्णतः अधीन या दो या अधिक राज्य सरकारों, या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित होने की अनुज्ञा दी गई है।

स्पष्टीकरण (1) - आमेलन की तारीख वह होगी जब, अभिदाता

(i) किसी निगम या कंपनी या निकाय में तत्काल आमेलन होने के आधार पर कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख को वह वस्तुतः उस निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है;

(ii) प्रारम्भ में विदेशी सेवा शर्तों पर किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख से सरकार द्वारा उसका बिना शर्त त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है; और

(iii) किसी सरकारी विभाग के पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने पर किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख से उस निगम या कंपनी या निकाय में आमेलित किए जाने का उसका विकल्प सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

स्पष्टीकरण (2) - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निकाय से स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय अभिप्रेत है।

16. अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी - (1) अभिदाता के निःशक्त होने के मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु ऐसा अभिदाता दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,

(2) यदि कोई अभिदाता, ऐसे मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के धारा 20 के उपबंध लागू नहीं हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए अक्षम करती है, के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, वह अविधिमान्यता सेवानिवृत्ति पर हितलाभों के लिए विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेगा:

परंतु अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभों के लिए अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाता शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है:

परंतु यह और कि अभिदाता, जिसे निःशक्तता हुई हो और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के तहत सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, अभिदाता को सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों जिनका वह अन्यथा हकदार है के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है। यदि अभिदाता इस नियम के तहत सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध को इस नियम के उपबंधों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जा सकेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष उप-नियम (2) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, ऐसे आवेदन की अभिप्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति के तीस दिन के भीतर अभिदाता की जांच के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा -

(क) राजपत्रित सरकारी सेवक और अराजपत्रित सरकारी सेवक जिसका वेतन, मूल नियमावली के नियम 9 के उप-नियम (21) में यथापरिभाषित, 54 हजार रुपये प्रति मास से अधिक है; के मामले में चिकित्सा बोर्ड,

(ख) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य चिकित्सा अधिकारी।

चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता के सेवारत कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें अभिदाता के आधिकारिक अभिलेख से अभिदाता की आयु का उल्लेख होगा, और यदि अभिदाता की सेवा पुस्तिका है, तो उसके अनुसार उसकी आयु का ब्यौरा देने वाली विवरणी होगी। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की प्रति अभिदाता को पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) अभिदाता उस प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख पर चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगी कि अभिदाता आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं या फिर वह जिस कार्य में कार्यरत है, उससे कम श्रम वाले कार्य के लिए, आगे की सेवा के लिए योग्य है।

(5) सेवा के लिए अक्षमता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को अभिदाता की चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से अनुरोध न मिला हो।

(6) जब किसी महिला अभ्यर्थी की जांच की जानी हो, तो एक महिला चिकित्सक को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(7) जहां उप-नियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम (2) में उल्लेखित किसी अभिदाता को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया है, तो प्ररूप 3 में चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा। यदि अभिदाता को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

(8) यदि अभिदाता को, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, तो जिस पद पर वह कार्यरत था उससे निचले पद पर नियोजित किया जा सकेगा और यदि उसे निचले पद पर भी नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।

(9) जहां अभिदाता ने, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन फायदों का विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अनुसरण में फायदों के सवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

(10) यदि अभिदाता, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन उप-नियम (9) के अनुसरण में फायदों प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का संदत्त अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।

(11) जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम

कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी की मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

(12) यदि अभिदाता, उप-नियम (11) के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदा प्राप्त करने का पात्र हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से परे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

17. निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर पात्रता- (1) जहां अभिदाता ने, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम का विकल्प है; सरकारी सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

(2) यदि अभिदाता, उप-नियम(1) के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।

(3) जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; सरकारी सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता के कारण सेवामुक्त किया जाता है, उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में, अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

(4) यदि अभिदाता, उप-नियम(3) के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने का पात्र हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से परे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

18. अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव- (1) जहां अभिदाता, सरकारी सेवा से शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है या पदच्युत या हटा दिया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी राशि संदेय होगी:

परंतु यह प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में अभिदाता, अपने विकल्प पर, एक गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) इन नियमों द्वारा आच्छादन नहीं किए गए उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में ऐसे मामलों में की गई किसी भी कार्रवाई पर उप-नियम(1) प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और वे हितलाभ, ऐसे नियमों के अनुसरण में विनियमित किए जा सकेंगे, जो ऐसे हितलाभों पर लागू होते हैं।

19. सेवानिवृत्ति पर लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का प्रभाव- (1) विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां, जो अभिदाता के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई थी, किंतु अभिदाता की सेवानिवृत्ति से पूर्व समाप्त नहीं हुई है या अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पश्चात शुरू की गयी न्यायिक कार्यवाही, अभिदाता को उसके संचित पेंशन कॉर्पस से संदेय हितलाभों को प्रभावित नहीं करेगी और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी राशि संदेय होगी।

(2) ऐसे उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के संबंध में ऐसे मामलों में, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, की गई किसी भी कार्रवाई पर उप-नियम(1) के अधीन उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे और ऐसे फायदों को, उन नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो ऐसे फायदों को लागू होते हैं।

20. अभिदाता की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पात्रता- (1) मृत्यु होने पर,-

(क) अभिदाता जिसने, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यक्तिगत विकल्प है; या

(ख) सेवानिवृत्त अभिदाता, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 16 के संदर्भ में अशक्तता पेंशन या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के नियम 17 के संदर्भ में निःशक्तता पेंशन मिली हो,

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परंतु यह सरकारी सेवा के कारण मृत्यु होने पर, उन सभी नियमों के अंतर्गत हितलाभों की स्वीकृति की सभी शर्तों की पूर्ति के अधीन केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अनुसरण में फायदों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि अभिदाता की मृत्यु होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत उप-नियम(1) के अनुसरण में कुटुम्ब को हितलाभ देय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा, जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत नामनिर्देशन किया गया है। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन आस्तित्व में नहीं है, तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

(3) अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन व्यक्तिगत विकल्प है; ऐसे हितलाभ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में दिए जा सकेंगे।

21. सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं की सूची तैयार करना- (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक तिमाही अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को ऐसे सभी अभिदाताओं की सूची तैयार कराएगा जो उस तारीख से अगले वारह से पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) उपनियम-(1) में यथानिर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की, यथास्थिति, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक, न कि उसके पश्चात् संबद्ध वेतन और लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी।

(3) अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष ऐसी सेवानिवृत्ति के तथ्य की जानकारी मिलते ही उसे यथाशीघ्र संबंधित **आहरण** और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) यदि संबंधित अभिदाता को सरकारी आवास आबंटि है, तो उप-नियम(3) के अंतर्गत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी को भेजी गयी सूचना की प्रति संपदा निदेशालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

22. "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के संबंध में संपदा निदेशालय को सूचित करना- (1) कार्यालय अध्यक्ष, ऐसे अभिदाता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटिती कहा गया है) जिसके पास कोई सरकारी आवास था या है, की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए लिखेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, संपदा निदेशालय आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

23. अधिवर्षिता पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हितलाभों के लिए दावा प्रस्तुत करना- (1) अभिदाता के पास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ढंग के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदों का दावा प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

(2) प्रत्येक अभिदाता, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने की तारीख से छह मास पूर्व, या जिस तारीख पर वह सेवानिवृत्त होने की तैयारी के लिए आगे बढ़ता है, जो भी पूर्व हो, प्राधिकारी द्वारा विहित आहरण प्रपत्र को, आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों सहित सम्यक रूप से भरकर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सेवानिवृत्ति के अन्य मामलों में या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी पर अभिदाता ऐसी

सेवानिवृत्ति या निकासी के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के जारी होने के तुरंत पश्चात प्राधिकरण द्वारा विहित आहरण प्ररूप को आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों सहित सम्यक रूप से भरकर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। जहां अभिदाता ने ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया है, वह उक्त आहरण प्रपत्र के प्रिंट-आउट की एक हस्ताक्षरित प्रति को आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेगा।

(3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दावा आईडी का सृजन करेगी और उन अभिदाताओं, जो अगले छह मास में अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे, के लिए नोडल ऑफिसर, अर्थात् वेतन और लेखा अधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व सूचित करेगी।

24. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दस्तावेजों को पूरा करना और अग्रेषित करना—(1) कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर हितलाभों के लिए दस्तावेजों को पूरा करेगा और नीचे उल्लिखित प्ररूप में एक आवरण पत्र सहित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा: -

सेवानिवृत्ति या निकासी के प्रकार	आवरण पत्र के प्रपत्र
अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल नियम के नियम 56(ज) के अंतर्गत समय पूर्व सेवानिवृत्ति या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम।	प्ररूप 4-क
तकनीकी त्यागपत्र या किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेदन	प्ररूप 4-ख
त्यागपत्र या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाया जाना।	प्ररूप 4-ग
अशक्तता या निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति	प्ररूप 4-घ
सेवा के दौरान मृत्यु	प्ररूप 4-ङ

(2) अधिवर्षिता प्राप्त होने पर अभिदाता के सेवानिवृत्त होने के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष अभिदाता के सेवानिवृत्त होने की तारीख से चार मास के भीतर तथा अन्य मामलों में, अभिदाता की सेवानिवृत्ति या निकासी के पश्चात एक मास के भीतर आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को संपूर्ण दस्तावेज अग्रेषित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने अभिलेख के लिए उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज और प्रपत्रों की एक प्रति रखेगा।

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और प्रत्याहरण), विनियम, 2015 के अनुसरण में, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण की ऑनलाइन प्रणाली निकासी के अनुरोध को प्रक्रियाबद्ध करने के पश्चात, वेतन और लेखा अधिकारी अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास पूर्व उप-नियम(1) और उप-नियम(2) निर्दिष्ट दस्तावेजों को केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

(4) यदि अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अधिवर्षिता या निकासी की तारीख से परे अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा और उसे आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को अधिवर्षिता प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व भेज देगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे विकल्प प्रक्रियाबद्ध किए जा सकेंगे।

25. प्रतिनियुक्ति पर अभिदाता—(1) अभिदाता के किसी अन्य केंद्रीय सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में हितलाभों को अधिकृत करने की कार्यवाही ग्रहण विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी।

(2) अभिदाता के किसी राज्य सरकार या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में हितलाभों को अधिकृत करने की कार्यवाही राज्य सरकार या विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति स्वीकृत करने वाले कार्यालयाध्यक्ष या संवर्ग प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

26. सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना- जब कोई अभिदाता सेवा से सेवानिवृत्त होता है -

(क) राजपत्रित अभिदाता के मामले में सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना, और

(ख) अराजपत्रित अभिदाता के मामले में एक कार्यालय आदेश

ऐसी तारीख के एक सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्ति की तारीख को दर्शाते हुए जारी किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक अधिसूचना या कार्यालय आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी को तुरंत अग्रेषित की जाएगी।

27. निर्वचन- जहाँ नियमों की निर्वचन के संबंध में संदेह उत्पन्न होने पर, इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में सरकार के निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

28. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ यथास्थिति, मंत्रालय या विभाग, लिखित रूप से अभिलिखित कारणों से आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए हटा या शिथिल कर सकेगा, जो वह इस मामले से उचित और न्यायसंगत रीति से निपटने के लिए आवश्यक समझे:

परन्तु कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

29. अवशिष्ट मामलों के लिए केंद्रीय सरकार की शक्ति- (1) कोई ऐसा विन्दु, जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आता है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, मूल नियम, अनुपूरक नियम या सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य साधारण या विशेष आदेश में निहित इस संबंध में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, परन्तु, ये इन नियमों के उपबंधों के विरुद्ध या उससे असंगत नहीं हों।

(2) केंद्रीय सरकार किसी ऐसे मामले को विनियमित करने के लिए आदेश या अनुदेश जारी कर सकेगी, जिसके लिए बनाए गए नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या इन नियमों के अधीन किया गया नहीं समझा गया है और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ऐसे मामलों को समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

30. निरसन और व्यावृत्ति- इन नियमों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक आदेश, अनुदेश या कार्यालय जापन, जहाँ तक वह इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी मामले के लिए उपबंधित है, प्रवर्तन में नहीं रहेगा। उन आदेशों, अनुदेशों या कार्यालय जापन के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रारूप 1

सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी/अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर कार्यमुक्ति की दशा में फायदों का उपयोग करने के लिए विकल्प

[नियम 10 देखें]

* मैं, इस विकल्प का प्रयोग करता हूँ कि सेवा के दौरान निःशक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में, यथास्थिति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939, के अधीन फायदों का संदाय मुझे या मेरे कुटुम्ब को किया जाए।

या

* मैं, इस विकल्प का प्रयोग करता हूँ कि सेवा के दौरान निःशक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन कॉर्पस के आधार पर, फायदों का संदाय यथास्थिति मुझे या मेरे कुटुम्ब को किया जाए।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का हस्ताक्षर

नाम -----

पदनाम-----

कार्यालय जिसमें सेवारत है -----

दूरभाष सं.-----

स्थान और तारीख:

इस विकल्प से पूर्व में मेरे द्वारा दिये गए किसी अन्य विकल्प को अधिकांत हो जाएंगे।

* जिस ऐसे फायदों को पूर्णतः काट दें जिनके लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाना है।

(कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

केन्द्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अधीन तारीख का विकल्प प्राप्त किया

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा दिया गया.....

पदनाम.....

कार्यालय

प्राप्त विकल्प की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठ सं. भागमें की गयी।

हस्ताक्षर,

कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम तथा मुहर

आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख

प्राप्तकर्ता अधिकारी उपरोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिससे वह, उसकी मृत्यु/निःशक्तता होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्ररूप 2**कुटुंब के ब्यौरे**

[नियम 10(3) देखें]

महत्वपूर्ण

- सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाएँ और स्तम्भ 7 में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कुटुंब के ब्यौरे दोबारा प्रस्तुत करेगा।
- पति या पत्नी, सभी बालक और माता-पिता(चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों(भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिये जा सकेंगे।
- कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। निःशक्तता या कुटुंब सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन के बारे में तथ्य को भी "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में उपदर्शित किया जाए।
- पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।

5. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तारीख 4 नवम्बर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं1(23)-पी&सीडब्ल्यू/91-ई के अधीन विहित प्रोफार्मा में सेवानिवृत्ति के पश्चात कुटुंब संरचना में परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।
6. जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न की जाएँ। कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उनकी प्रतियाँ भी संलग्न की जाएँ।

सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का नाम		पदनाम		राष्ट्रीयता	
--------------------------------------	--	-------	--	-------------	--

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे:

क्रम सं.	नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियों को देखें)	जन्मतारीख दिन/मास/वर्ष	आधार सं. (वैकल्पिक)	सरकारी कर्मचारी/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अभिदाता के साथ संबंध	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियाँ	कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

मैं कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अद्वयतन रखने का एतद्वारा वचन देता हूँ।

ई-मेल:(वैकल्पिक)..... स्थान

मोबाइल:(वैकल्पिक)..... तारीख..... (हस्ताक्षर)

-----आधार सं. देना वैकल्पिक है।
तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो इसे केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई, समझा जाएगा।

प्ररूप 03**(नियम 16 देखें)****चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्ररूप**

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/(हमने).....(सरकारी कर्मचारी/अभिदाता का नाम) पुत्र श्री की सावधानीपूर्वक जांच की जो किमें.....(पदनाम) पद पर कार्यरत हैं। मेरे/(हमारे) मतानुसार श्री विभाग में..... (यहाँ पर रोग या कारण का उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप आगे किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः और स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।

(यदि अक्षमता पूर्णतः और स्थायी प्रतीत नहीं होती है तो प्रमाणपत्र में तदनुसार संशोधन किया जाए और निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाए।)

"मेरे/हमारे मतानुसार श्री इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए उपयुक्त है/ मास के विश्राम के पश्चात इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए उपयुक्त हो जाएँगे।"

स्थान

तारीख

चिकित्सा प्राधिकारी

प्ररूप 4-क**[नियम 24 देखें]**

[अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा ,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के मामले में अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि :

* इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन..... तारीख..... को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

या

* केन्द्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 12 या मूल नियम के नियम 56(ट) या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन.....की तारीख..... से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

या

* मूल नियम के नियम 56(ज) या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन.....की तारीख से सेवानिवृत्ति के आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। इस संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूपों के प्रिंट आउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

3. नियम 11/नियम 12/नियम 13 के अनुसरण में, सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, श्री.....पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं के अधिवर्षिता पर यथास्वीकार्य फायदों का हकदार है। यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदों को जारी करने के लिए सरकारी कर्मचारी/अभिदाता के मामले पर तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्ररूप 4-ख

[नियम 24 देखें]

[किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा ,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएन.....) के मामले में किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलन होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम) पीआरएन..... किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम में आमेलित होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर तारीख..... से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त माने जाते हैं। इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय से उनके कार्यमुक्त होने के आदेश की प्रति संलग्न है।

2 * चूंकि नए संगठन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की योजना लागू है, अतः अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा। उसे ऐसे आमेलन के समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ नहीं मिलेगा, परंतु नए निकाय या संगठन आदि जहां पर अभिदाता को आमेलित किया गया है, से निकासी के पश्चात उसे फायदे प्राप्त होंगे।

या

* चूंकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना नए संगठन में लागू नहीं है, केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 15 के अनुसरण में वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूपों के प्रिंटाउट) संलग्न हैं:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

3. यह अनुरोध किया जाता है कि एनपीएस खाते को..... में अंतरित करने या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य सेवांत फायदों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्ररूप 4-ग

[नियम 24 देखें]

[त्यागपत्र या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा ,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के त्यागपत्र देने या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि

* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन..... पर तारीखके आदेश सं. (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी..... को तारीख..... से सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है।

या

* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम, पीआरएएन..... पर तारीख.....के आदेश सं. (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी..... को तारीख सेसरकारी सेवा से पदच्युत/सेवा से हटाया जाता है।

या

* इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), पीआरएएन.....ने तारीखको सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने की तारीख..... के आदेश सं. की प्रति संलग्न है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 17 या नियम 14 के संदर्भ में, अभिदाता, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य फायदों का पात्र है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दावा संबंधी दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप के प्रिंटआउट) संलग्न हैं:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

4. यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य सेवांत फायदों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्ररूप 4-घ

[नियम 24 देखें]

[अशक्तता या निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा ,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएन.....) के

अशक्त या निःशक्त होने पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), पीआरएन..... अशक्तता(सरकारी सेवा के कारण नहीं) या निःशक्तता(सरकारी सेवा के कारण) होने पर तारीखको सेवानिवृत्त हुए। श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार, अभिदाता केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन फायदों का पात्र है। सरकारी कर्मचारी द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अनुसरण में फायदों के संवितरण के लिए आगे की कार्यवाही तदनुसार की जा रही है। केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 16 या नियम 17 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार के अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किए जाएंगे। शेष संचित पेंशन कॉर्पस अभिदाता को एकमुश्त में संचित होगा।

या

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), पीआरएन..... अशक्तता(सरकारी सेवा के कारण नहीं) या निःशक्तता(सरकारी सेवा के कारण) होने पर तारीखको सेवानिवृत्त हुए। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार और नियम 16 तथा 17 के अनुसरण में, अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में

यथास्वीकार्य फायदों के पात्र है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप के प्रिंटआउट) श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा यथाप्रस्तुत संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदों को जारी करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी..... के मामले पर उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

प्ररूप 4-ड

[नियम 24 देखें]

[सेवा में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा ,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के मामले - सेवा में पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

मृत्यु होने पर राष्ट्रीय

महोदय,

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), पीआरएन..... की तारीख को मृत्यु हो गई। श्री/श्रीमती/कुमारी..... की मृत्यु सरकारी सेवा के कारण नहीं हुई है या सरकारी सेवा के कारण हुई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार, उनका परिवार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभों का पात्र है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है। केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 20 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार के अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किए जाएंगे। शेष संचित पेंशन कॉर्पस पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशित व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमुश्त में संदेय होगा। यदि ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया गया है या किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो शेष संचित पेंशन कॉर्पस की राशि विधिक उत्तराधिकारी को संदेय होगी। सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है।

या

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), पीआरएन..... की तारीख को मृत्यु हो गई। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 20 के संदर्भ में और नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार, उनका परिवार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों का पात्र है। अभिदाता द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (भौतिक रूप या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप के प्रिंटआउट) कुटुम्ब के पात्र सदस्य द्वारा यथाप्रस्तुत संलग्न हैं:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदे जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर, उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

[फ़ा. सं. 57/02/2018-पी&पीडबल्यू (वी)]

संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव